

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
क्रमांक :- जविप्रा/14/डी - 228

दिनांक 24/4/14

कार्यालय - आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर क्षेत्र में स्थित पार्क, सर्किल, ट्राईएंगल, रोड साइड प्लांटेशन एवं अन्य हरित स्थलों को संधारण हेतु संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों/सी.आई.आई. के सदस्यों/कंपनियों/होटल अथवा अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं को गोद दिये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. संबंधित जोन उपायुक्त।
3. वरिष्ठ उद्यानविज्ञ।
4. संबंधित अधिशाषी अभियंता।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
3. संबंधित उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
5. संबंधित अधिशाषी अभियंता, जविप्रा, जयपुर।

आयुक्त
जविप्रा, जयपुर।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।